

## कार्यालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

क्रमांक:प.12(1)(1)( )विधालय/भू.आ./राजस्व/18/ 279

दिनांक: 31 जनवरी, 2020

उप निदेशक,

सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग,

सवाई माधोपुर

विषय:- राजकीय माध्यमिक विधालय, दुब्बी बनास के खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन बाबत।

प्रसंग:- राजस्व विभाग जयपुर के पत्रांक: 2(128) राज-3/17 दिनांक 28.05.18

विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र की प्रति संलग्न भिजवायी जा रही है, जिसमें राजस्व (ग्रुप-3) विभाग विभाग द्वारा दिनांक 13.04.18 को जारी 28 बिन्दुओं की चैक लिस्ट के अनुसार सूचना जिला कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश प्रदान किये गये है। अतः आप संलग्न 28 बिन्दुओं की चैक लिस्ट जिला कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करवा कर शीघ्र अवगत करावें।

संलग्न-चैक लिस्ट



( कैलाश चन्द्र ),  
अति०जिला कलेक्टर,  
सवाई माधोपुर

## भूमि आवंटन बाबत चैक लिस्ट

क्र.स.	जिले का नाम	सवाई माधोपुर
1.	आवेदक संस्था का नाम/पता व विवरण	राजकीय माध्यमिक विधालय, दुब्बी बनास
2.	संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व अन्य विवरण	राजस्थान सरकार
3.	संस्था का गत 3 वर्ष का आय-व्यय का विवरण	-
4.	संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट निर्माण लागत एवं आर्थिक संसाधनों का विवरण	-
5.	क्या उक्त संस्था को उक्त क्षेत्र में अनुभव है? उसका विवरण	राजकीय माध्यमिक विधालय, दुब्बी बनास
6.	संस्था को भू-आवंटन का प्रयोजन एवं सम्बन्धित विभाग की अभिशंषा/अभिमत एवं मान्यता	राजकीय माध्यमिक विधालय, दुब्बी बनास के खेल मैदान हेतु।
7.	संस्था द्वारा नोर्म्स से अधिक भूमि चाहे जाने पर उसका औचित्य	-
8.	क्या संस्था को पूर्व में कभी इस जिले में भूमि आवंटित की गई थी ? यदि हां तो उसका विवरण	नहीं
9.	परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को मिलेगा? व क्या लाभ मिलेगा?	समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा।
10.	संस्था द्वारा चाही जा रही भूमि का विवरण-राजस्व ग्राम का नाम ख0नं0किस्म, क्षेत्रफल मय जमाबन्दी व राजस्व नक्शों के	ग्राम दुब्बी बिदरखां के आराजी खसरा नं0 965 रकबा 0.79,ख0नं0 966 रकबा 0.24 किस्म बंजड़ कुल रकबा 1.03 है0 भूमि (जमाबन्दी,नक्शा ट्रेस प्रति संलग्न)
11.	संस्था को आवंटन की जाने वाली भूमि की प्रस्तावित दर	-
12.	आवेदक द्वारा चाही गयी रियायत का विवरण	-
13.	प्रस्तावित भूमि की कुल कीमत	-
14.	चाही गयी भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर	-
15.	क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है या स्थगन आदेश तो नहीं है?	नहीं
16.	भू-उपयोग परिवर्तन होना है? भूमि की श्रेणी (ग्राम नगरीय परिधि भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से दूरी)	प्रस्तावित भूमि राज्य सरकार की स्वीकृति से वन पुर्नभरण हेतु आरक्षित है।
17.	क्या भूमि पर पूर्व से निर्माण है?	नहीं
18.	यदि भूमि पर अतिक्रमण हो तो उसका विवरण	नहीं
19.	क्या भूमि कमाण्ड क्षेत्र में है?	नहीं
20.	भूमि आवंटन के प्रस्ताव के साथ संलग्न रिकार्ड जमाबन्दी-राजस्व नक्शा-तहसीलदार की रिपोर्ट व अन्य आवश्यक रिपोर्ट	संलग्न है।
21.	क्या प्रस्तावित भूमि चरागाह भूमि है ? यदि हां तो ग्राम पंचायत की राय/अभिशंषा संलग्न है या नहीं ? चारागाह भूमि के क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव	नहीं
22.	यदि संबन्धित भूमि नगरीय क्षेत्र या पेरीफैरी क्षेत्र में है तो क्या निकाय की एन.ओ.सी. संलग्न है ?	नहीं
23.	भूमि नगरीय क्षेत्र में होने पर नगर नियोजन विभाग की राय	नहीं
24.	यदि मास्टर प्लान बन चुका है तो क्या भू-उपयोग परिवर्तन मास्टर प्लान के अनुरूप है अथवा भू-उपयोग परिवर्तन की शर्त के साथ आवंटन किया जाना है ?	नहीं
25.	प्रस्तावित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की तो नहीं है	नहीं है।
26.	किस नियम/परिपत्र के अन्तर्गत आवंटन प्रस्तावित किया गया है ?	राजस्थान भू-राजस्व (स्व. लो. कॉलेजो, चिकित्सालयां, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य प्रयोजनार्थ भवन निर्माणार्थ अनाधिवारित राजकीय भूमि का आवंटन) आदेश, 1963 के अन्तर्गत
27.	विभिन्न प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि की सूचना/प्रयोजन जिला कार्यालय की वेबसाईट व नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक किये जाने का विवरण।	जिला कार्यालय की वेबसाईट व नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक कर दिया गया है।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में तथ्यों का सत्यापन कर तत्सम्बन्धी संतुष्टी कर ली गई एवं तदनुसार उक्त प्रकरण में भू-आवंटन करने की अभिशंषा की जाती है।

(डा०एस०पी०सिंह)  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर